

आदेश-पत्रक

श्रीवत कुमार काँठ
खाना
हरी राम

(दिखे अभिलेख-हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या- से तक

जिला- वाद संख्या- 149 सन् 2022

केस का प्रकार- अग्नि विही अनुमति

केस का प्रकार- <u>अभि लिखी अनुमति</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
1	2										
25/11/22	आदेशित श्रीवत कुमार बेंठा पिता - स्व० सुधेश्वर बेंठा व नन्देव बेंठा पिता - स्व० बालेश्वर बेंठा दोनों ग्राम - मौगल खाना - लातेहार जिला - लातेहार के द्वारा कोरानागु (कास्तकारी) अधि-निष्पन्न की धारा 460 के तहत अपने स्वलिखनी भूमि की देवी राम पिता - स्व० कईला राम ग्राम - आन खाना - चन्दवा जिला - लातेहार को बिक्री करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। भूमि का विवरण निम्नवत है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाना</th> <th>खे०</th> <th>लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>धुसुआ</td> <td>287</td> <td>54</td> <td>458</td> <td>0.09 ए००१४६५ (0.09 ए००१४६५)</td> </tr> </tbody> </table> दोनों अभिलेख दिनांक 13.12.22 दोनों (के।) 13.12.2022 अभिलेख उपलब्ध। बिक्री के दोनो अनुमति का (2) केस - पूरा पर भी जोड़ नहीं आये। आदेश के उपरान्त में वाद	ग्राम	खाना	खे०	लॉट सं०	रकबा	धुसुआ	287	54	458	0.09 ए००१४६५ (0.09 ए००१४६५)
ग्राम	खाना	खे०	लॉट सं०	रकबा							
धुसुआ	287	54	458	0.09 ए००१४६५ (0.09 ए००१४६५)							

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी,
सहित

समाप्त किया जाता है ।

G. K.
13/11/2020